

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही में इनिशियल्स जज

तारीख  
हुक्म

29-6-21 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/सन्निवार रखने  
से पत्रावली दिनांक 27 को पेश हो।

9-7-21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित  
अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर  
प्राप्त हुए जिले शां पठ किये गये, तहसीलदार

माण्डल पटवार हल्का भाद्र द्वारा मौका रिपोर्ट  
प्राप्त हुई जिले शां पठ की गई, अप्रार्थीगण  
को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त  
भी उपस्थित नहीं उनके विकट एक तरफा  
कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है  
वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही, बटस  
शुनी वायी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत  
दिनांक 16-7-21 को पेश हो।

स्वीकार  
उप  
पत्रावली

16-7-21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बा. अवकाश पर है / पदरिक्त है  
अतः पत्रावली दिनांक 20-7-21 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-7-21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
मिर्णय पृष्ठाक से लिखा जाकर शामिल फा  
किया गया। पत्रावली फंसल नुमार होकर  
सं कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भोलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा रक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 193/20 प्रा.पत्र

1- श्री भोपाल सिंह डा. श्री शंभू सिंह राजपूत निवासी- गाड़ू तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री श्यामलाल डा. श्री लाडू माई निवासी- गाड़ू तहसील- माण्डल (कोरा)  
(सहसंकेत प्रा.पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20-07-2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाड़ू पटवार हल्का गाड़ू तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1706, 1698 कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.11.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाड़ू पटवार हल्का गाड़ू तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1706, 1698 कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुरखा जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सुहारिया को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निश्चयानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा